

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-381/2019

मंटू कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रमेश मणि पाठक, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : ए०जी० के ए०सी०

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

**04/16 अगस्त, 2019**

यह याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 1220/2018

की बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याची के वकील प्रस्तुत करते हैं कि उसने पहले से ही याचिका की प्रति प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 को समय के भीतर तामील करके आदेश का अनुपालन कर दिया है और इस आशय का बयान इस याचिका के पैरा 5 में दिया गया है।

उपर्युक्त उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका को अनुमति देने का इच्छुक हूँ। तदनुसार, यह सिविल विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

नतीजतन, रिट याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 1220/2018 को इसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया०)